.Through Press Notifications, public at Jarge is regularly advised to contact the above laboratories for free testing of water quality in case of any complairiL

Goverment Accommodation f*or* Long Waiting Employees

. 1858. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to bail out the out-of-turn allottees of Government accommodation, which the Supreme Court had ruled illegaL iaJlotment and ordered evictions; (b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government had taken into consideration the cases of Government employees who have not been allotted any accommodation despite rendering more than 25 years of service, before taking the above decision; and

(d) if so, the remedial step 'faken to redress their grievances?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The out of Turn Allotment of Residence (Validation) Ordinance, 1997 was promulgated on 21.6.97 to save out of turn allotees from eviction on humantarian grounds following the desire expressed by all the political parties. However, the out of turn allottees involved in subletting and who obtained such allotments by mis-representation of facts, by fraudulent means or where such allotment was of higher type than their entitlement, shall be evicted. A Bill has been introduced in the Lok Sabha to replace the Ordinance.

(c) and (d) A high powered Committee was set up under the Chairmanship of Director-General, Central Public Works Department, to consider the need for construction of more residential accom modation for augmenting the housing stock for General Pool. Two representa tions of the employees were associated with the Committee which has submitted its report.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों का बिना बारी आवंटन

1859. **श्री ईशदत्त यादव** :
श्री नागमणि :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) विगत पांच वर्षो के दौरान बिना बारी के आवंटित किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों की आवंटितियों के नामों के साथ संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके मुख्यतः क्या कारण है;

(ख) ये आवंटन किन-किन क्षेत्रों में किए गए, भुगतान किस रूप में किया गया, किन-किन व्यक्तियों का आवंटन किया गया और ऐसे आवंटन किनकी सिफारिशों पर किये गए;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा विगत उक्त वर्षो के दौरान वर्षवार कितने फलैटों का निर्माण किया गया था और उनमें से कितने फलैटों का आवंटन किया गया है; और

(घ) क्या न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम, 1979 के आवंटितियों को मनोवांछित बस्ती चुनने का विकल्प नही दिया गया था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 यू0 वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सूचना के अनुसार गत पांच वर्षो के दौरान, 256 बिना-बारी आधार पर आवंटित किये गये थे । इन आबंटनों बाबत आवंटियों के नाम और आधार सहित आवंटन इलाके के वर्ष-वार ब्यौरे अनुपत्र में है । [**देखिए परिशिष्ट** 181 **अनुपत्र संख्या** 49] में है । बिना-बारी आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नकद भुगतान के आधार पर किये जाते है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत पांच वर्षो में निर्मित फलैटों का वर्ष विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्मित फलैट
1992-93	7076
1993-94	0661
1994-95	6044
1995-96	2290
1996-97	7743

आबंटित फलैटों के वर्ष वार ब्यौरे नही दिये जा सकते, क्योंकि आबंटन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें वापस किये गये और निरस्त किये गये फलैट भी पुनः आबंटन हेतु शामिल होते है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नही है ।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियां संबंधित उच्च स्तरीय समिति

1860. **श्री रामगोपाल यादव** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, यदि हां, तो यह कब और किसकी अध्यक्षता में गठित की गयी थी और इसके सदस्यों के साथ समिति के सदस्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति के कार्य एवं अधिकार क्या थे;

(ग) क्या उक्त समिति ने भविष्य में अधिकृत कॉलोनियों के फैलाव को रोकने हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या है और सरकार द्वारा किस रूप में लागू कि जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 यू0 वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी0 डब्ल्यू0 पी0 सं0 4771/93 में अपने दिनांक

9.12.96 के आदेश में सचिव, शहरी विकास विभाग को निदेश दिया था कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जिसमें संबंधित अभिकरणों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कम से कम 2-3 लोकहित चिन्तक भी शामिल हो । तदनुसार, 1.11.1996 को गठित एक उच्च स्तरीय समिति का दिनांक 24.12.1996 को पुनर्गठन किया गया । उच्च स्तरीय समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए है (नीचे देखिए) समिति ने उच्च न्यायलय को उनके द्वारा मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । मामला अभी न्यायाधीन है ।

विवरण

(1) उच्च स्तरीय समिति का गठन

1. श्री एन0 पी0 सिंह सचिव (यूडी) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय	- अध्यक्ष
2. श्री पी0वी0 जयकृष्णन मुख्यसचिव रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार	- सदस्य
3. श्री हेमेन्द्र कुमार अपर सचिव (यू डी) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय	- सदस्य
4. उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण	- सदस्य
5. श्री जगदीश सागर प्रधान सचिव (यू डी) रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार	- सदस्य
6. श्री बी0 एस0 मिन्हास संयुक्त सचिव शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय शहरी विकास विभाग	- सदस्य
7. श्री वी0 के0 दुग्गल आयुक्त दिल्ली नगर निगम	- सदस्य
8. श्री आई0 ए0 खान अध्यक्ष नई दिल्ली नगर परिषद	- सदस्य
9. महाप्रबंधक दिल्ली विधुत प्रदाय संस्थान	- सदस्य
10. श्री राकेश मोहन अपर आयुक्त (डब्ल्यू एस) दिल्ली नगर निगम	- सदस्य
11. श्री कृष्ण लाल शर्मा, संसद सदस्य	- सदस्य
12. श्री जग प्रवेश चन्द्र विधायक, रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार	- सदस्य
13. श्री शोएब इकबाल, विधायक रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार	- सदस्य
14. श्री एस0 पी0 एस0 परिहार	- संयोजक सदस्य

(2) उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय :-

(क) दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या पर विचार करना तथा इसके कारणों का विश्लेषण करना ।

(ख) दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या से निपटाने के लिए उपायों का सुझाव देना जिनमें दिल्ली की उन कालोनियों, जो निर्धारित तारीख से पहले से बसी हैं, जिन्हें हटाया नही जा सकता व जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा में कोई बाधा नही पहुंचती, इनको नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल है

(ग) भविष्य में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपायों का सुझाव देना ।